न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर सम्भाग, बीकानेर

अपील सं0 162/2016 अन्तर्गत धारा–76 एल.आर एक्ट

अनवान इरफान खां पुत्र इस्लामुदीन जाति मुसलमान निवासी सर्वोदय बस्ती बीकानेर

बनाम सुरजाराम पुत्र मुकनाराम कुम्हार वगैरह (32)

हुक्म दिनांक	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नं0 व तारीख जो तामील में जारी हुए
16.1.2018	आज यह पत्रावली अपीलान्ट श्री इरफान खां जरिये श्री सीताराम अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.1.2018 पर पेशी में ली गयी । अपीलान्ट श्री इरफान खां पुत्र इस्लामुदीन द्वारा जरिये अभिभाषक निवेदन किया गया कि प्रार्थी अपीलान्ट व रेस्पोन्डेंटान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है । दोनों पक्षों में राजीनामा हो जाने से अपीलान्ट इस अपील को आगे नहीं चलाना चाहता है । अतः अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर जरिये विड्रा खारिज किये जाने आदेश प्रदान करें । हमने अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16–01–18 एवं अपील का अवलोकन किया । यह द्वितीय अपील न्यायालय उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा प्रथम अपील एल.आर एक्ट सं0 62/2014 अनवान मु0 परमेश्वरी वगैरह बनाम सुरजाराम वगैरह स्टेट में पारित निर्णय दिनांक 28–9–15 के विरुध्द प्रस्तुत होकर इस न्यायालय में विचाराधीन है । अपीलान्ट इस अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं तथा विड्रा करना चाहते हैं । अतः यह अपील अपीलान्ट जरिये विड्रावल (Withdrawal) इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड वापिस प्रेषित हो । अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं संलग्नक शामिल अपील किया जावे । पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । सम्भागीय आयुक्त बीकानेर	102-103 22-1-18